

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
(आई०डी०एस० वृत्त)


पत्रांक: 350/06-रोडसेफ्टी/16

दिनांक 02/08/2016

प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के अधीन राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग, प्रमुख जिला मार्ग व शहरी मार्गों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव रोड साइनेज, रेज्ड पेवमेंट मार्कर एवं थर्मोप्लास्टिक द्वारा रोड मार्किंग के कार्यों का सम्पादन कराया जाता है। IRC:67-2012, Code of practice for Road Signs एवं IRC:SP:35-2015, Code of practice for Road Marking एवं MORTH-2013, Specification for Road and Bridge (Fifth Revisio) के पुनरीक्षण में नवीनतम विशिष्टियाँ जारी की गयी।

उपरोक्त तकनीकी मानकों के परिप्रेक्ष्य में उच्चस्तरीय तकनीकी समिति की बैठक में हुये विचार विमर्श के आधार पर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के मार्गों पर थर्मोप्लास्टिक द्वारा रोड मार्किंग, रेट्रो रिफ्लेक्टिव रोड साइनेज, रेज्ड पेवमेंट मार्कर व डेलीनेटर्स के कार्य इस पत्र के संलग्नक के अनुसार कराये जाने के निर्देश दिये जाते हैं।

संलग्नक - यथोक्त



2/8/16
(सलेक चन्द्र)

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लो०नि०वि०, लखनऊ
दिनांक 02/08/16

पत्रांक : 350/06-रोड सेफ्टी/16

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- प्रमुख अभियन्ता, (विकास) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की गार्ड फाइल हेतु।
- 3- प्रमुख अभियन्ता (परिकल्पना एवं नियोजन) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की गार्ड फाइल हेतु।
- 4- प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की गार्ड फाइल हेतु।
- 5- मुख्य प्राविधिक परीक्षक, लोक निर्माण विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- महालेखाकार (वर्क्स) इलाहाबाद।
- 7- निदेशक, प्रायोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 8- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 9- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय -1) / (मु०-2) / परिवाद / (वि०यो०) / भवन, राष्ट्रीय मार्ग / विश्व बैंक / पी०एम०जी०एस०वाई लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 10- समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 11- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम, लि० लखनऊ।
- 12- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० सेतु निगम, लि० लखनऊ।
- 13- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 14- निदेशक, अन्वेषणालय, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 15- समस्त अधिशासी अभियन्ता / कार्य अधीक्षक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।


मुख्य अभियन्ता,
वाह्य सहायतित परियोजना
लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

संलग्नक:-
पत्रांक- 350/06-रोड एफटी/16

दिनांक- 02/08/16

परिपत्र

प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के अधीन राष्ट्रीय मार्गों, राज्य मार्गों, प्रमुख जिला मार्गों एवं शहरी मार्गों पर रोड साईनेज एवं थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग हेतु परिपत्र पत्रांक-5585एमटी/60एमटी/2006 दिनांक-19.07.2006 द्वारा विशिष्टियों निर्धारित की गई थी।

IRC:67-2012, Code of practice for Road Signs एवं IRC:SP:35-2015, Code of practice for Road Marking एवं MORTH-2013, Specification for Road and Bridge (Fifth Revisio) के पुनरीक्षित हो जाने के फलस्वरूप उक्त आदेश को अतिक्रमित करते हुये प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के अधीन मार्गों पर भविष्य में रोड साईनेज एवं थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग के कार्यों के सम्पादन हेतु निम्नवत निर्णयों के अनुसार आगणन गठित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

रोड मार्किंग कार्य:-

रोड मार्किंग का कार्य MORTH-2013, Specification for Road and Bridge (पंचम संस्करण) के सेक्शन 800 एवं IRC:35-2015, Code of practice for Road Marking की विशिष्टियों के अनुरूप कराया जायेगा।

रोड साईनेज का कार्य:-


रोड साईनेज का कार्य MORTH-2013, Specification for Road and Bridge (पंचम संस्करण) के सेक्शन 800 एवं IRC:67-2012, Code of practice for Road Signs की विशिष्टियों के अनुरूप कराया जायेगा।

राष्ट्रीय मार्गों एवं राज्य मार्गों पर टाइप-XI शीटिंग का प्रयोग एवं शहरी मार्गों, एम0डी0आर0, ओ0डी0आर0 एवं ग्रामीण मार्गों में टाइप-IV शीटिंग का प्रयोग किया जायेगा।

रेज्ड रिफ्लेक्टिव पेवमेन्ट मार्कर (आर0पी0एम0) एवं डेलीनेटर्स का कार्य :-

उक्त कार्य MORTH-2013, Specification for Road and Bridge Works एवं IRC:67-2012, Code of practice for Road Signs में जारी विशिष्टियों के अनुरूप कराया जायेगा। सभी मार्गों पर डेलीनेटर्स में टाइप-IV शीटिंग का प्रयोग किया जायेगा।

आगणनो में रोड मार्किंग एवं आर0पी0एम0, के प्राविधान हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 लखनऊ द्वारा जारी पूर्व कार्यालय ज्ञाप सं0-22कैम्प-प्र0अ0विकास/01 सरकुलर/15 दिनांक-16.01.2015 द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। भविष्य में आगणन गठित किये जाने हेतु रोड साईनेज एवं रोड फर्नीचर मदों का विवरण MoRTH की स्टैन्डर्ड डाटा बुक के अनुसार रखा जायेगा।


(सलेक चन्द्र)

प्रमुख अभियन्ता, (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लो0नि0वि0, लखनऊ